

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:- 0141-2705483

फैक्स:- 0141-2701822

क्रमांक:- रास्कूशिप-जय/यू-डाइस/2020-21/16235

दिनांक:- 27/10/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समग्र शिक्षा,
समस्त जिले।

विषय: विद्यालयों हेतु नवीन यू-डाइस आवंटन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (Unified-District Information System for Education) भारत सरकार के द्वारा विकसित प्रणाली है जिसमें राज्य के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक (राजकीय/गैर-राजकीय), माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की समस्त प्रकार शैक्षिक सूचनाओं को संकलित कर कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण किया जाता है।

यू-डाइस का संकलन वर्ष 2018-19 से ऑन लाईन पोर्टल <http://udiseplus.gov.in> के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2020-21 का यू-डाइस द्वारा सूचना संकलन उपरोक्त वेब पोर्टल पर किया जावेगा। इस पोर्टल पर पूर्व में पंजीकृत विद्यालय पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध Know Your School लिंक द्वारा अपने यू-डाइस कोड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे विद्यालय जो कि उपरोक्त पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हैं। वे निम्न प्रक्रिया द्वारा अपना यू-डाइस कोड प्राप्त कर सकेंगे-

नवीन यू-डाइस आवंटन की प्रक्रिया

विद्यालय द्वारा किये जाने वाला कार्य-

1. सर्व प्रथम विद्यालय जिसको यू-डाइस कोड आवंटन करवाना है, उपरोक्त लिंक द्वारा अपना विद्यालय सर्च कर सुनिश्चित कर लेवें कि विद्यालय को पूर्व में यू-डाइस कोड आवंटित नहीं किया गया है।
2. यू-डाइस कोड आवंटित नहीं होने की स्थिति में पत्र के साथ संलग्न यू-डाइस आवंटन प्रपत्र में आवश्यक सूचनाएँ अंकित करें। प्रपत्र के साथ अपने विद्यालय की मान्यता की प्रति संलग्न करें। प्रपत्र व मान्यता की प्रति सहित विद्यालय के संस्था प्रधान/उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा स्व-हस्ताक्षरित व विद्यालय सील सहित प्रार्थना-पत्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित करावें।
3. प्रमाणित आवेदन प्रपत्र मान्यता की कॉपी सहित सम्बन्धित अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय के यू-डाइस शाखा में जमा करावें।
4. यह ध्यान रहें कि प्रपत्र के सभी कॉलम में अनिवार्य रूप से सूचनाएँ अंकित होनी चाहिए। अधूरे भरे हुए प्रपत्र से यू-डाइस का आवंटन नहीं हो सकेगा।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये जाने वाला कार्य-

1. विद्यालय द्वारा यू-डाइस आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र को प्रमाणित करने से पूर्व जांच ले कि पूर्व में विद्यालय को यू-डाइस कोड आवंटित तो नहीं हुआ है। यदि नहीं है तो पूर्ण भरा हुआ प्रपत्र संलग्न दस्तावेज सहित प्रमाणित कर सम्बन्धित अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय को प्रेषित करें एवं एक प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें। यह ध्यान रहें कि प्रपत्र के सभी कॉलम में अनिवार्य रूप से सूचनाएँ अंकित होनी चाहिए। अधूरे भरे हुए प्रपत्र से यू-डाइस का आवंटन नहीं हो सकेगा।
2. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना संकलन हेतु एक रजिस्टर भी संधारित करें।

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किये जाने वाला कार्य—

1. विद्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रमाणित यू-डाइस आवंटन प्रपत्र पूर्ण भरा हुआ संलग्न दस्तावेज सहित प्राप्त होने पर प्राप्ति दिनांक को ही यू-डाइस पोर्टल पर UDISE+ School Management लिंक (<http://udiseplus.gov.in/UD/home>) के माध्यम से जिला एमआईएस लॉगिन व पासवर्ड द्वारा अपलोड करें। जिला एमआईएस प्रभारी के लिए यूजर-गाइड पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है।
2. जिला एमआईएस प्रभारी नवीन यू-डाइस कोड आवंटन प्रपत्र ऑन लाईन करने पूर्व आवश्यक रूप से जांच ले कि विद्यालय को पूर्व में यू-डाइस कोड आवंटित तो नहीं है।
3. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना संकलन हेतु एक रजिस्टर भी संधारित करें।
4. लॉगिन के उपरान्त Create School लिंक द्वारा प्राप्त ऑनलाईन प्रपत्र में सूचनाएं अंकित कर प्रमाणित प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजों की एक पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड करें।
5. राज्य कार्यालय के वेरिफिकेशन के उपरान्त शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नवीन यू-डाइस कोड को आवंटित किया जायेगा।
6. यू-डाइस आवंटन की स्थित जिला एमआईएस प्रभारी अपने लॉगिन से प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा द्वारा किये जाने वाला कार्य—

1. यू-डाइस आवंटन प्रक्रिया की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें तथा सुनिश्चित करें कि सभी कार्य परिषद् द्वारा जारी टाइम-लाइन अनुसार सम्पादित किये जायें।

(डॉ. भैवर लाल)

राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निदेशक, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निदेशक, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. सचिव, मदरसा बोर्ड राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, सम्बन्धित संभाग को प्रतिलिपि कर लाने के लिए प्रपत्रानुसार कार्यवाही शीघ्र ही सम्पादित करावें।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम/द्वितीय), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. नियंत्रक वित्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
11. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों प्रक्रिया अनुसार यू-डाइस कोड आवंटित करवाना सुनिश्चित करें।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
13. संस्था प्रधान, समस्त राजकीय व निजी विद्यालय।
14. प्रोग्रामर/प्रभारी अधिकारी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को यू-डाइस आवेदन प्रपत्र समसा एवं प्राइवेट स्कूल पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

(एम.आर. बागड़िया)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक—प्रथम

विद्यालय का नाम

विद्यालय UDISE CODE हेतु आवेदन प्रपत्र

क्रमांक

दिनांक.....

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

ब्लॉक जिला

विषय - UDISE CODE आवंटन करने के क्रम में

महोदय/महोदया

उपरोक्त विषय में निवेदन है की हमारे विद्यालय को UDISE CODE आवंटित नहीं है। हमारे विद्यालय सत्र से संचालित हो रहा है। भारत सरकार के UDISE प्लस पोर्टल पर UDISE प्लस 2020-21 का ऑनलाइन DCF भरने हेतु मुझे UDISE कोड आवंटित कराने का श्रम करें।

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ की मेरे द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत सूचनाएँ सही हैं। मैं प्रत्येक वर्ष UDISE का DCF भरूंगा अन्यथा विपरीत स्थिति की समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।
सादर।

संलग्न - नवीन यू-डाइस कोड प्रपत्र

भवदीय

(नाम हस्ताक्षरकर्ता.....)
(विद्यालय सील सहित)

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ,

क्रमांक

दिनांक

विद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर विद्यालय को यू-डाइस कोड आवंटन की अभिशंका की जाती है।

हस्ताक्षर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

अति. जिला. परि. समन्वयक

(मोहर)

Format for new School UDISE Code Allotment

1. Choose Correct Lowest and Highest Class according to School Category.
2. Choose Correct School Management accordingly.
3. **Plz attached** Recognition Certificate or Equivalent
4. Latitude and Longitude is mandatory

<u>Basic Details (in english):</u>		
Block:	Village:	
Cluster:	School Location:	
School Name (in English):	School Type:	
Class From:	Class To:	
Management: (Department of Education, Tribal Welfare Dept., Local body, Private Unaided, Social Welfare Department, Ministry of Labor, Kendriya Vidyalaya/Central School, Madarsa recognized (by Wakf board/Madarsa Board), Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sainik Vidyalaya, Railway Vidyalaya, Central Tibetan School, Madarsa unrecognized, Sanskrit Education, Shiksha Karmi School, KGBV)	Category: (Primary only with grades 1 to 5, Upper Primary with grades 1 to 8, Higher Secondary with grades 1 to 12, Upper Primary only with grades 6 to 8, Higher Secondary with grades 6 to 12, Secondary with grades 1 to 10, Secondary with grades 6 to 10, Higher Secondary with grades 9 to 12)	
Establishment year:	Recognition year:	
<u>Additional Details (in english)</u>		
Address 1:	Address 2:	
Pin Code:	Latitude	Longitude
Respondent Name:	Respondent Contact No.	
Affiliation Board:	Affiliation Number:	

Seal and Signature with date
Head of School/Responsible Person